न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2263-एक/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-8-2014 पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर - प्रकरण कमांक 01/2014-15/170-ख

श्रीमती रंजना पत्नि अजमेर सिंह
निवासी खिसल पटटी, चंबल कालोनी
श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमरी वेवा जग्गा निवासी
सेमल्या हवेली, तहसील व जिला श्योपुर --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0के0शुक्ला)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 01/2014-15/170-ख में पारित आदेश दिनांक 28-8-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह अनुसूचित जनजाति की है उसके पति स्व. जग्गा के नाम ग्राम सेमल्या हवेली में भूदान भूमि सर्वे कमांक 388/2 रकबा 4 वीघा, 388/3 रकबा 2 वीघा 10 विसवा एंव सर्वे कमांक 388/4 रकबा 2 वीघा 5 विसवा है इस भूमि को रंजना पत्नि अजमेरसिंह यादव ने अपने को आदिवासी लिखवा कर भूमि का

अंतरण अपने नाम करवा लिया, इसलिये भूमि स्वर्गीय जग्गा के वारिसान के नाम की जावे। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 01/2014-15/170-ख पंजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 से प्रकरण सुनवाई में लिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि स्व. जग्गा एंव अर्जुन के नाम ग्राम सेमल्या हवेली में भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 388/2 रकबा 4 वीघा, 388/3 रकबा 2 वीघा 10 विसवा एंव सर्वे क्रमांक 388/4 रकबा 2 वीघा 5 विसवा थी जिसे स्वर्गीय जग्गा एंव अर्जुन ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-6-2004 से आवेदक के हित में विक्रय किया है जिस पर से आवेदक का नामांत्रण भी हो चुका है। प्रकरण में अनावेदक की मूल आपत्ति यह है कि क्रेता आवेदक जाति की यादव है जिसने आदिवासी बनकर कपटपूर्वक अंतरण कराया है क्योंकि आवेदक का पति यादव जाति का है। आवेदक के अभिभाषक ने पुष्टिकरण में श्रीमती रंजना पत्नि अजमेर सिंह के हित में तहसीलदार अटेर जिला भिण्ड व्दारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 289 दिनांक 24-7-88 प्रस्तुत किया है कि वह जाति की गौड़ होकर आदिवासी जाति की महिला है। यदि आदिवासी महिला का विवाह सामान्य वर्ग या पिछड़ वर्ग यादव जाति के व्यक्ति से होता है जाति वॅश परम्परा पर आधारित रक्त के आधार पर मानी जाती है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आवेदक जाति की गौड़ आदिवासी है तभी पूर्ण छानवीन एंव जांच करने के उपरांत

कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण कमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004 से अर्जुन पुत्र देवचंद सहर एंव जग्गा पुत्र गोरधन सहर निवासी ग्राम समेल्दा हवेली को ग्राम सेमल्या हवेली की भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 388/2 रकबा 4 वीघा, 388/3 रकबा 2 वीघा 10 विसवा एंव सर्वे क्रमांक 388/4 रकबा 2 वीघा 5 विसवा के विक्रय की अनुमति प्रदान की है। विचार योग्य है कि जब कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण कमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004 से अनावेदिका के पति को भूमि विक्रय की अनुमति देने के वाद आवेदक के हित में भूमि का अंतरण एंव अंतरण पर से नामान्तरण हुआ है क्या कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 20/2003-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2004 की जॉच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी सक्षम हैं। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2014-15/170-ख पंजीबद्ध कर अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 से लिया गया निर्णय **अधिकार-विहीन है।**

5/ **उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी** श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2014-15/170-ख में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-8-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर